बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

एक सब के लिए, सब एक के लिए

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

रबी 2023-24 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन

अधिसूचित फसलें

फसलवार अधिसूचित क्षेत्र/ईकाई

- गेहूँ – राज्य के सभी 38 जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में
- मकई – राज्य के 31 मकई अच्छादित जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में
- ईख – राज्य के 16 ईख अच्छादित जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में
- चना – राज्य के 17 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
- अरहर – राज्य के 20 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
- राई सरसों – राज्य के 37 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
- मसूर – राज्य के 34 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
- प्याज – राज्य के 15 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
- आलू – राज्य के 15 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
- टमाटर – राज्य के 10 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
- बैगन – राज्य के 12 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
- मिरचाई – राज्य के 12 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
- गोभी – राज्य के 11 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में

योजना की प्रमुख विशेषताएं

1. रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए।
2. 10000 रु प्रति हेक्टयर (20% से अधिक क्षति होने पर)
3. 7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)।

नि:शुल्क आवेदन

रबी 2023–24 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते हैं

- सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल – https://state.bihar.gov.in/cooperative
- मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से।
- कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से - (टोल फ्री न0 - 18001800110)
- प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक के सहयोग से।

▸ आवेदन के समय किसानों के द्वारा फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी दी जानी है।

▸ आवेदन की अवधि - 31 मार्च 2024 तक

योजनान्तर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की आसान प्रक्रिया :-

- कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।
- **प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।**
- आवेदन के समय किसानों को फसल एवं बुआई का रकबा की जानकारी देनी है।
- फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों/**अधिसूचित क्षेत्र इकाई** के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायत/ **अधिसूचित क्षेत्र इकाई** के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी :-

रैयत किसान	गैर रैयत किसान	रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान
1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत) / राजस्व रसीद (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत) 2. स्व घोषणा-पत्र	1. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत)	1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत) / राजस्व रसीद (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत) 2. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत)

- योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान ।

नोट :-
- एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
- योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान ।
- नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य ।

PR No. 015379 (Co-Operative) D. 2023-24

• अधिक जानकारी के लिए – https://state.bihar.gov.in/cooperative अथवा कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री नं0 - 18001800110 पर संपर्क करें ।